बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 134

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया / औरंगाबाद / सुपौल।

पटना, दिनांक – 28.03.17

विषयः– वित्तीय वर्ष–2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन केन्द्रांश मद में ₹87,50,000 / –(सतासी लाख पचास हजार रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–84 दिनांक–25.01.2017 द्वारा द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपलब्ध बजट उपबन्ध एवं योजना उद्व्यय के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में ₹6,20,00,000 / –(छः करोड़ बीस लाख रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार जिलो से मांग के आलोक में विभागीय पत्रांक–107 दिनांक–01.03.2017 द्वारा कुल ₹5,32,50,000 / –(पांच करोड़ बतीस लाख पचास हजार रू0) मात्र की राशि आवंटित की गयी है। इसी क्रम में जिलों से माँग के आलोक में कुल ₹87,50,000 / –(सतासी लाख पचास हजार रू0) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

4– इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1[नियम–12(4)] में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और / या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम के तहत (i) पीडित / पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित / पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित / पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीडित / पीडता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार–प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के अधीन अनु0 जाति और अनु0 जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

5– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

6– केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0218–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–3302–मुआवजा विपत्र कोड सं0–P2225012770218" से विकलनीय है ।

7– इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8– इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–04–2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

9– इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन ,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 134 पटना, दिनांक– 28.03.17

प्रतिलिपि : 1–महालेखाकार, बिहार / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग / पुलिस महानिरीक्षक (कं0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3– प्रमंडलीय आयुक्त, मगध, सहरसा / उप विकास आयुक्त, गया, औरंगाबाद, सुपौल / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मगध, सहरसा / अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / जिला कल्याण पदाधिकारी, गया / औरंगाबाद / सुपौल / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 27/3/17

ज्ञापांक–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 134 पटना, दिनांक– 28.03.17

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, गया / औरंगाबाद / सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 27/3/17

Allotment-css-atrocity-16-17

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम –1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम –1955 के अधीन आवंटित राशि की विवरणी।

(आवंटित राशि का व्यय मुख्य रूप से (i) हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि (ii मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को पेंशन भुगतान (iii) यात्रा भत्ता, (iv) दैनिक भत्ता, (v) जागरूकता, (vi) प्रचार–प्रसार, (vii) वैधिक सहायता, (viii) सहायक राहत अनुदान–पुनर्वास, इत्यादि पर किया जायेगा।)

क0	जिला का नाम	आवंटित राशि (राशि ₹लाख में)
		विपत्र कोड–P2225012770218
1	2	3
1	गया	*50.00*
2	औरंगाबाद	*20.50*
3	सुपौल	*17.00*
	कुल योग	*87.50*

रू0 सतासी लाख पचास हजार मात्र

पत्रांक 134 दिनांक 28.03.17 का अनुलग्नक ।

Atrocity allotment 2016-17

निदेशक 28/3/17